महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 57वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांकः 27 सितम्बर, 2017 | समयः 11:30 बजे

विद्या परिषद् की 57वीं बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11:30 बजे बृहस्पति भवन स्थित विद्या परिषद् कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो. सतीश अग्रवाल, संकायाध्यक्ष- स्नातकोत्तर अध्ययन	सदस्य
3. प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष - महाविद्यालय	सदस्य
4. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष- जनसंख्या अध्ययन	सदस्य
5. प्रो मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
6. प्रो. बी.पी. सारस्वत, विभागाध्यक्ष- वाणिज्य	सदस्य
7. प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष- खाद्य विज्ञान एवं पोषण	सदस्य
8. प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष- शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन	सदस्य
9. प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष- कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
10. प्रो. आशीष भटनागर, विभागाध्यक्ष- सूक्ष्म जीव विज्ञान	सदस्य
11. प्रो. शिवदयाल सिंह, विभागाध्यक्ष- अर्थशास्त्र	सदस्य
12. प्रो. प्रवीण माथुर, संकायाध्यक्ष- छात्र कल्याण	सदस्य
13. प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष-वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
14. प्रो. सुभाष चन्द्रा, विभागाध्यक्ष-प्राणीशास्त्र	सदस्य
15. डॉ. डी.के. सिंह, संकायाध्यक्ष एवं प्राचार्य	सदस्य
16. डॉ. नगेन्द्र सिंह, संकायाध्यक्ष- शिक्षा	सदस्य
17. डॉ. एस.के. देव, प्राचार्य-एस.पी.सी.राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	सदस्य
18. श्री बी.एल. मालवीय, प्राचार्य- एम.एल.वी. राज. महा. भीलवाडा	सदस्य
19. प्रो. गोविन्द पारीक, ए.बी.एस.टी. विभाग, राज. विश्वविद्यालय जयपुर	सदस्य
20. कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:-</u>

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य

3. श्रीमती कल्पना गौड़, प्राचार्य राज. महाविद्यालय, नसीराबाद । सदस्य
4. श्री कोमल सिंह मेहता, प्राचार्य, राज. महाविद्यालय, मांडलगढ़ (भीलवाड़ा) सदस्य
5. श्रीमती स्नेह सक्सैना, प्राचार्य-राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर) सदस्य
6. प्रो. सीमा मलिक, अंग्रेजी विभाग, सोशल साईंस एण्ड ह्यूमिनिटी कॉलेज, उदयपुर । सदस्य
7. प्रो. ए.आर. गर्ग,एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर । सदस्य

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलसचिव को विद्या परिषद की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित कियाः-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 4 जनवरी, 2017 को सम्पन्न हुई 55वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (55) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2017/528-44 दिनांक 10.01.17 को प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**कार्यवृत्त की निम्न प्रेषण के साथ पुष्टि की गयीः-** **मद संख्या 3:- भविष्य में संकायाध्यक्ष बनाते समय सदस्यों के नाम एवं पद की सूची प्रस्तुत की जावें ।** **मद संख्या 4 (1) :- सूक्ष्मजीव विज्ञान पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति की संयुक्त बैठक के कार्यवृत की निम्न संशोधनों के साथ पुष्टि की गयीः-** **1. बोर्ड ऑफ स्टडिज को पाठ्यक्रम समिति पढ़ा जावे ।** **2. बैठक की दिनांक इत्यादि सभी तारीखों को अनुभाग जांचकर ठीक करें ।**	
मद सं. 2	विद्या परिषद् की दिनांक 31 जुलाई, 2017 को सम्पन्न हुई 56वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (56) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2017/18154-78 दिनांक 11.08.17 को प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि आगामी सत्र से ग्रेस पास करने की तिथि 30 जून मानी जाए ।**	

<table>
<tr><td>मद सं. 3</td><td>दिनांक 04.01.2017 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 55वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)</td><td>शैक्षणिक-I</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 4</td><td>दिनांक 31.07.2017 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 56वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)</td><td>शैक्षणिक-I</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया। आगामी सत्र से उपाधियों के ग्रेस पास की तिथि 30 जून तक करवायी जावे।</td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 5</td><td>माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि करनाः
(1) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेग्यूलेशन 2016 के बिन्दु संख्या 6.0.5 (i) को एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2/2016 (PS) Amendements दिनांक 10.01.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 10.01.2017 से प्रवृत्त मान्य किये जाने पर इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/ मदसविवि/2017/3498 दिनांक 22.02.2017 जारी की गयी । (कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)</td><td>संस्थापन</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>पुष्टि की गयी।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(2) प्रतिवेदन है कि निम्नलिखित अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समितियों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया ।
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>संकाय का नाम</th><th>अध्ययन बोर्ड/ पाठ्यक्रम समिति का नाम</th><th>बैठक दिनांक</th><th>मा.कुलपति महोदय के अनुमोदन की दिनांक</th><th>परिशिष्ठ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>विधि संकाय</td><td>विधि अध्ययन बोर्ड</td><td>05.04.17</td><td>08.04.17</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रबन्ध अध्ययन संकाय</td><td>प्रबन्ध अध्ययन अध्ययन बोर्ड</td><td>11.05.17</td><td>01.09.17</td><td>5</td></tr>
<tr><td>3</td><td>विज्ञान संकाय</td><td>कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति</td><td>01.07.17</td><td>01.09.17</td><td>6</td></tr>
<tr><td>4</td><td>विज्ञान संकाय</td><td>कम्प्यूटर साईस एण्ड आई.टी. अध्ययन बोर्ड</td><td>30.06.17</td><td>01.09.17 2/8</td><td>7</td></tr>
</table></td><td>शैक्षणिक-I</td></tr>
</table>

	<table><tr><td>5</td><td>वाणिज्य संकाय</td><td>ए.बी.एस.टी. अध्ययन बोर्ड</td><td>18.08.17</td><td>01.09.17</td><td>8</td></tr></table>	
निर्णय	1. बिन्दु संख्या 1, 2, 4 एवं 5 पर अंकित अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी । 2. बिन्दु संख्या 3 पर अंकित कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति के कार्यवृत्त में अंकित बैठक की दिनांक 01.07.2015 के स्थान पर 01.07.2017 पढ़ा जावे, इस संशोधन के साथ कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	
	(3) प्रतिवेदन है कि समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 02.02.17 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 12, 13 एवं 14 की अनुशंषाओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 08.02.17 को अनुमोदन प्रदान किया गया । माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की अनुपालना में पत्र क्रमांक एफ 13 ( )शैक्ष-I/मदसविवि/2017/3573 दिनांक 25.02.17 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ठ-9)	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी।	
मद सं. 6	समकक्षता समिति की दिनांक 02.02.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर विचार कर निर्णय करना । (कार्यसूची का परिशिष्ठ-10)	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त बैठक की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि विश्वविद्यालय में पीएच.डी. प्रवेश हेतु समकक्षता एवं शिथिलता विश्वविद्यालय के पीएच.डी. अध्यादेश के अध्यधीन होगी।	
मद सं. 7	शिक्षा अध्ययन बोर्ड की दिनांक 15.05.2017 को आयोजित बैठक की अनुशंषाओं पर विचार कर निर्णय करना । (कार्यसूची का परिशिष्ठ-11)	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।	
मद सं. 8	प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 14 दिनांक 27.11.2009 के आधार पर जारी अधिसूचना No. F (13) Acad-I/MDSU/2011 Dated 11-05-2011 (Regarding Rules for Preparation of Merit List and Award of Merit Certificates and Rules for Award of Medals and conditions for Award of Medals) के अन्तर्गत MBA (Service Management) कोर्स सम्मिलित नहीं है । इस कारण उक्त कोर्स के टॉपर को स्वर्ण पदक प्रदान नहीं किया जाता है । परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक एफ 11( )परीक्षा/प्रोफे./मदसविवि/2017/ 2691 दिनांक 18.02.2017, जो कि छात्र श्री हरभान सिंह, एम.बी.ए. (सर्विस	शैक्षणिक-I

	मैनेजमेंट), 2009 के उक्त परीक्षा में टॉपर होने के उपरान्त भी स्वर्ण पदक नहीं दिये जाने के संदर्भ में प्राप्त हुआ है । अतः MBA (Service Management) कोर्स को इन नियमों में शामिल करने पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**सर्विस मैनेजमेंट कोर्स के बन्द हो जाने के कारण उक्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया ।**	
मद सं. 9	निम्नलिखित अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समितियों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार कर निर्णय करना:-	**शैक्षणिक-I**

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड/ पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	मा.कुलपति महोदय के अनुमोदन की दिनांक	परिशिष्ठ
1	विज्ञान संकाय	पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	29.08.17	07.09.17	12
2	विधि संकाय	विधि अध्ययन बोर्ड	06.09.17	08.09.17	13
3	विज्ञान संकाय	कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति	14.09.17	25.09.17	14
4	विज्ञान संकाय	खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड	13.09.17	25.09.17	15
5	वैदिक संकाय	योग एवं मानव चेतना पाठ्यक्रम समिति	23.09.17	26.09.17	16

निर्णय	**पुष्टि की गयी । बिन्दु संख्या 01 पर अंकित पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति के कार्यवृत में डिप्लोमा कोर्स इन बेसिक्स ऑफ ओर्नीथलोजी एवं सर्टिफिकेट कोर्स इन बर्डिंग को पर्यावरण विज्ञान विभाग के तत्वावधान में चलाए जाने की अनुमति प्रदान की गयी । प्रो. रीटा मेहरा ने इस पर विमत्ति दर्ज कराते हुए उक्त कोर्स प्राणीशास्त्र विभाग में चलाने की मांग की ।** **<u>बिन्दु संख्या 04:-</u> डॉ0 ऋतु माथुर के नाम के आगे अंकित विभागाध्यक्ष विलोपित माना जावे एवं संयोजक बैठक में किसी को भी आमंत्रित करने के लिए अधिकृत नहीं है ।**	
मद सं. 10	श्री अनूप कुमार, संकायाध्यक्ष-कला संकाय का स्थानान्तरण जालंधर हो जाने के कारण संकायाध्यक्ष-कला का स्थान रिक्त हो गया है । अतः संकायाध्यक्ष-कला संकाय की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2(2) के तहत् विद्या परिषद् में विचार कर निर्णय करना ।	**शैक्षणिक-I**

निर्णय	**संकायाध्यक्ष, कला संकाय हेतु उपयुक्त शिक्षाविद का चयन संभव नहीं हो सका, अतः मद अगली बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 11	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग ने पत्रांकः प.18 (2)शिक्षा–4/2017 विविध/दिनांक 10.08.2017 के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2017 को पारित आदेश की पालना बाबत् अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर को जारी पत्र क्रमांकः एफ.16(1)डीएसएपी/2017/3025 दिनांक 5.06.2017 की प्रति प्रेषित करते हुए उक्त पत्र में अंकित निदेशानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2017 को दिव्यांगजनों को आरक्षण हेतु पारित आदेश की पालना बाबत् सूचित किया गया है। **(प्रति संलग्न)** अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर को जारी पत्र क्रमांकः एफ. 16(1)डीएसएपी/2017/3025 दिनांक 5.06.2017 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:– As you may be aware The Persons with Disabilities (Equal Opportunity, Protection of Rights and Full Participation Act 1995) stands repealed with the enactment of Rights of Persons with Disabilities Act 2016. The new Act is all inclusive and provides for a broader base and comprehensive perspective. As per the decision of Hon'ble Supreme Court of India dated April 25, 2017 in the Writ Petition (Civil) No. 116 of 1998 : "Justice Sunanda Bhandare Foundation versus Union of India, the State Government has been asked to take immediate steps to comply with the requirement of Act and file the compliance to be taken by the department. The soft copy of Act is available on website www.disabilityaffairs.com The important section related to your department and the corresponding action expected from the department has been detailed below:	शैक्षणिक-II

S.No.	Relevant sections of the Act	Action required to be taken
1.	32(1) All Government institutions of higher education and other higher education institutions receiving aid from the Government shall reserve not less than five percent seats for persons with benchmark disabilities.	Notification is required to be issued to ensure 5% reservation.

विश्वविद्यालय विवरणिका 2017–2018 में प्रवेश नियमों में इस सम्बन्ध में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है।

	अतः राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में दिव्यांगजनों को पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण लागू करने पर विचार करना।	
निर्णय	**विश्वविद्यालय प्रवेश नियमों में दिव्यांगों हेतु आरक्षण वर्तमान तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय राज्य सरकार के नियमानुसार करने का निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 12	स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नैचूरोपैथी एण्ड योगिक साईस, सीतापुरा, जयपुर एवं विश्वविद्यालय के मध्य हुए एम.ओ.यू. दिनांक 15 फरवरी, 2007 के क्रम में उक्त संस्थान को विश्वविद्यालय अधिनियम 28 के प्रावधानान्तर्गत अनुमोदित संस्था मान्य किये जाने बाबत् प्रकरण विद्या परिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 25.05.2007 में प्रस्तुत किया गया । विद्या परिषद् की 35वीं बैठक दिनांक 25.05.2007 में निर्णय संख्या 3 (3) में स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नैचूरोपैथी एण्ड योगिक साईस, सीतापुरा, अजमेर को विश्वविद्यालय अधिनियम 28 के प्रावधानान्तर्गत विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिये प्रबन्ध बोर्ड की स्वीकृति के अध्यधीन केन्द्र के रूप में अनुमोदित संस्थान मान्य किया गया । विद्या परिषद् के उक्त निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय पत्रांक 24517 दिनांक 05.02.2007 (प्रति संलग्न) के स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नैचूरोपैथी एण्ड योगिक साईस सीतापुरा, जयपुर को प्रबन्ध बोर्ड की स्वीकृति के अध्यधीन निम्नांकित विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिये अध्ययन केन्द्र के रूप में अनुमोदित संस्था मान्य किया गया:- 1- Yoga Instructor Certifiate (YICC) 2- One Year Diploma in Yogic Education and Human Science (DYEHS) 3- Bachelor of Naturopathy and Yogic Science. इसके उपरान्त प्रबन्ध बोर्ड की 61वीं बैठक दिनांक 07.06.2007 के निर्णय संख्या 27 में विद्या परिषद् की दिनांक 25 मई, 2007 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नांकित प्रेक्षण के साथ किया गया : **<u>निर्णय संख्या 08 पर प्रेक्षणः-</u> विद्या परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार अध्यादेश का प्रारूपण बोर्ड की ओर से उसे प्रवृत्त करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।** **<u>निर्णय संख्या 15 पर प्रेक्षणः-</u> विद्या परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार अध्यादेश 215 (सी) का प्रारूपण बोर्ड की ओर से उसे प्रवृत्त करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।** प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय पत्रांक 850-55 दिनांक 22.02.2008 जारी किया गया (प्रति संलग्न) विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2008 से 2016 तक की उक्त अध्ययन केन्द्र की उपरोक्तानुसार अंकित पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन कर अंकतालिकायें संस्थान को प्रेषित की जा चुकी है ।	उपाधि

	अतः मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को विश्वविद्यालय अधिनियम 28 के प्रावधानान्तर्गत वर्ष 2008 से 2016 तक की उपाधियां जारी किये जाने हेतु मद विचारार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र, जयपुर द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2016-17 तक योग एवं चेतना का बीएस.सी. कोर्स कराया जा रहा है जिसकी परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करायी जा रही हैं परंतु उक्त केन्द्र के छात्रों को उपाधि अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की गयी हैं। विद्या परिषद ने कुलपति महोदय को अधिकृत किया कि कुलपति महोदय अपने स्तर पर प्रकरण का विधिक परीक्षण, सक्षम स्वीकृति, विश्वविद्यालय अधिनियम एव क्षेत्राधिकार आदि तथ्यों का विश्लेषण एवं परीक्षण कर निर्णय लेवें।**	
मद सं. 13	परीक्षा वर्ष 2017 में बी.ए. पार्ट-प्रथम में 08 आर.एल. तथा एम.ए. (फाइनल) भूगोल में 01 आर.एल. रहा । समस्त प्रयासों के बावजूद उत्तरपुस्तिकाएं संबंधित बण्डल में नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय O.169 G के प्रावधानानुसार औसत अंक देते हुये परीक्षा परिणाम निकाले जाने हेतु मद विचारार्थ प्रस्तुत है ।	परीक्षा नियंत्रक
निर्णय	**विश्वविद्यालय की वर्ष 2017 की परीक्षाओं हेतु 08 उत्तर पुस्तिकाएं, समस्त जांच एवं छानबीन के उपरांत भी मिल नहीं पा रही हैं,अतः विश्वविद्यालय के ऑर्डीनेंस 169 जी के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया।**	
मद सं. 14	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पत्रांक D.O.No. F1-2/2016 (PS/III Amendment) दिनांक 14 जून, 2017 विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया है । जिसमें निम्नानुसार अंकित किया गया है:- In continuation to my earlier letter D.P. No. F 1-2/2016 (PS/III Amendment) Dated 11th April 2017, regarding approval list of journals to be considered for the purpose of Career Advancement Scheme (CAS) and Direct Recruitment of Teachers and other academic staff as required under the UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointement of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Maintenance of Standards in Higher Education, 2010, UGC has decided to open the portal for Universities to enalble them to recommend additional/left out peer-reviewed journals to be included in the UGC approved list of journals following approval by the UGC Standing Committee for uploading the journals. Therefore, the recommandations of additional/left journals may please be uploaded on the UGC at http:www.ugc.in/journallist/user login.aspx, w.e.f. 16th June, 2017 to 22nd June, 2017 (Midnight). This may be treated as final list of the year, 2017. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में जर्नल्स की सूची तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किये जाने हेतु मद विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है ।	शोध

निर्णय	विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अलग जर्नल की लिस्ट के लिए पूर्वानुसार समिति कार्य करेगी जो निम्नानुसार है। यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत जर्नल ही मान्य किए जाएंगे। 1. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष 2. विभागाध्यक्ष 3. विषय विशेषज्ञ	
मद सं. 15	सदन की सहमति व विचार-विमर्श से निम्न निर्णय लिये गयेः-	
निर्णय	1. विद्या परिषद में निर्णय लिया गया कि अध्ययन बोर्ड की परीक्षा समिति पेपर सैटर्स के 5 नाम दे तथा उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु लगभग 50 नाम देवें। प्रायोगिक परीक्षा हेतु भी पर्याप्त नाम देवें।	परीक्षा नियंत्रक
	2. एम.सी.ए. लेटरल एंट्री में 09 छात्रों का प्रवेश हुआ है, अतः विद्या परिषद ने नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए कोर्स चालू रखने का निर्णय किया। प्रो. रीटा मेहरा ने इस निर्णय पर अपनी विमति दर्ज की।	विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान
	3. विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया की संबंधित संकायाध्यक्ष/संयोजक एवं कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर अपलोड किये जाए ।	शैक्षणिक-I

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव